राजस्व अपील संख्या 136 /2022
अनवान
जगदीश बनाम कमला भारती व अन्य

दिनांक 29–3–2022

उक्त अपील तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/भू0अ0/2021/2930 दिनांक 16–7–2021 जिसके द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक जाजीवाल एवं पटवारी हल्का सुरपुरा को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण जिसमे ग्राम गुजरांवास के खसरा नंबर 132, 132/1 एवं 132/2 की तरमीम इन खसरो मे सडक एवं सार्वजनिक सामुदायिक भवन को छोडते हुए शेष भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे मे जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम करने बाबत लिखा गया था जिसके विरूद्ध उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर अपीलांट अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता पर सुना जाने के बाद तहसीलदार जोधपुर के पत्र दिनांक 16–7–2021 का अवलोकन करने पर यह अपीलेबल आदेश नही होने से इसके विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही है । जिस पर वकील अपीलांट ने कथन किया कि यदि वर्तमान अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही है तो वर्तमान अपील को सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने का निवेदन किया ।

ऐसे मे प्रस्तुत अपील सुनवाई के क्षेत्राधिकार पर खारीज की जाती है । वकील अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करें । इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने एवं लोटाये जाने के आदेश के बीच के समय को अंदर मयाद सुमार किया जाता है । उक्त अपील इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर कर सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु वकील अपीलांट को लौटाई जाने के आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है । दायरा रजिस्टर के नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

1/4/22